



कार्यालय अधिकारी अभियन्ता
गुण नियन्त्रण खण्ड प्रयागराज

पत्रांक— 295 /गु0नि0ख0प्र0 / जनसूचना /

दिनांक 21/06/ 2022

विषय— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (1) बी की विभिन्न श्रेणियों की 16 सूचनाओं का
विवरण माह 06/ 2022

अधीक्षण अभियन्ता बाण सागर नहर निर्माण मण्डल—प्रथम, मीरजापुर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माह— 06/2022 की सूचना तैयार कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: — उपरोक्तानुसार।

श्री रम भिल्हा

अधीक्षण अभियन्ता

18
अधिकारी अभियन्ता
गुण नियन्त्रण खण्ड
प्रयागराज।

कार्यालय का नामः— अधिशासी अभियन्ता, गुण नियन्त्रण खण्ड, प्रयागराज

सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4 (1) वी विभिन्न श्रेणियों की 16 सूचनाएँ:- माह:- ०६/२०२२

1.	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत और कर्तव्य	बाण सागर संगठन के अन्तर्गत, बाण सागर नहर निर्माण मण्डल, प्रथम मीरजापुर के अधीन इस खण्ड द्वारा बाण सागर परियोजना, प्रयागराज के गुणवत्ता परीक्षण का कार्य होता है।
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्यः-	शासनादेशानुसार सह अधिकारी, कर्मचारी अपने कर्तव्य और शक्तियों, दायित्वों का निर्वहन करते हैं।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैः-	यह खण्ड द्वारा बाण सागर परियोजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों के गुणवत्ता परीक्षण का कार्य पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम से कार्यशील है।
4.	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमानः-	शासनादेश एवं सिंचाई मेनुवल में निहित आदेशों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।
5.	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखः-	इस खण्ड में जो भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वे शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं नियमों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन करते हैं।
6.	ऐसे दस्तावेजों के, जो इसके द्वारा धारित या नियन्त्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरणः-	इस खण्ड के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है।
7.	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः-	इस खण्ड में कार्यों के अनुसार किसी भी कार्य की समस्या होती है तो उनका समाधान जन सदस्यों के अभ्यावेदन के अनुसार किया जाता है।
8.	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग रूप में या इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरणः-	सिंचाई विभाग एक शासकीय संस्थान है इस संस्थान के अन्तर्गत बाण सागर परियोजना का कार्य चल रहा है जिसमें किसी समस्या का समाधान अभ्यावेदन के अनुसार किया जाता है।
9.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका:-	जानकारी की जाती है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो इसके विनियमों में यथा उपबन्धित होः-	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत और कर्तव्यः-
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजटः-	सम्मिलित है।
12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीत जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैः-	इस खण्ड में किसी सहायिकी योजना/कार्यक्रम का प्राविधान नहीं है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां :-	ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
14.	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसकों उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित होः-	कम्प्यूटर/पत्राचार द्वारा (फाइल) होता है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों के उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैः-	कोई प्राविधान नहीं है।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और विशिष्टियां :-	श्री प्रवीन जोशीया अधिशासी अभियन्ता, गुण नियन्त्रण खण्ड, प्रयागराज।

अधिशासी अभियन्ता
गुण नियन्त्रण खण्ड
प्रयागराज।